भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-138

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शैक्षणिक ऋण

†138. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लगभग 90 प्रतिशत शैक्षणिक ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाते हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा प्राप्त शिक्षा ऋण आवेदनों का वर्ष-वार, बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक ऋण लक्ष्य में 14 प्रतिशत की कमी कर दी गई है;
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 2023-24 में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) बैंकों द्वारा शैक्षणिक ऋणों के धीमे संवितरण के क्या कारण हैं;
(च) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक बिना किसी ऋणाधार के शैक्षणिक ऋण स्वीकृत करने के इच्छुक नहीं हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित शिक्षा ऋण की राशि 28,699 करोड़ रुपये और निजी बैंकों द्वारा वितरित राशि 7,749 करोड़ रुपये थी।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों द्वारा राज्यवार प्राप्त शैक्षिक ऋण आवेदनों की संख्या https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखी जा सकती है।

(ग) से (छ): वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शैक्षिक ऋण वितरण लक्ष्य वर्ष 2021-22 के लिए 16,965 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 20,450 करोड़ रुपये था, जो वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) आधार पर 20.54% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शैक्षिक ऋण वितरण का लक्ष्य 29,725 करोड़ रुपये निर्धारित था और इसकी तुलना में उपलब्धि 28,699.02 करोड़ रुपये रही, जो कि 96.55% है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में आईबीए की मॉडल शिक्षा ऋण योजना का पालन करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 7.50 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार मामले दर मामले आधार पर 7.50 लाख रुपये से अधिक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करते हैं।

*****

माननीय संसद सदस्य श्री बालाशौरी वल्लभनेनी द्वारा 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शैक्षणिक ऋण' के संबंध में पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राप्त शैक्षिक ऋण आवेदन					
राज्य संघ राज्य क्षेत्र/	प्राप्त आवेदनों की संख्या				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	72	47	108	308	303
आंध्र प्रदेश	18858	14487	22906	43546	26952
अरुणाचल प्रदेश	62	35	59	116	1190
असम	2735	2132	2993	4723	5800
बिहार	5645	5508	7152	8978	11808
चंडीगढ़	849	559	800	964	1123
छत्तीसगढ़	2821	2034	2848	3930	3707
दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	490	274	475	575	140
दिल्ली	7610	6736	8591	10292	13124
गोवा	2323	1046	1281	1694	2477
गुजरात	10472	7829	10423	13419	12669
हरियाणा	5155	4665	6771	9293	10751
हिमाचल प्रदेश	1890	1392	2120	3215	3468
जम्मू और कश्मीर	1067	670	1150	1384	1585
झारखंड	7095	5815	7989	9986	12836
कर्नाटक	29495	23902	36830	47372	50731
केरल	33348	27796	48627	61874	53114
लद्दाख	20	15	11	18	11
लक्षद्वीप	724	146	285	502	13
मध्य प्रदेश	12469	9214	12453	16798	16033
महाराष्ट्र	41166	33194	52401	63277	56947
मणिपुर	225	93	121	289	309
मेघालय	509	346	530	643	705
मिजोरम	34	26	35	516	70
नगालैंड	578	280	357	524	186
ओडिशा	5961	4772	6633	10359	10794
पंजाब	5043	4222	6560	8800	6174
पुदुचेरी	2022	1191	1783	2445	5245
राजस्थान	7668	6009	8021	10567	12773
सिक्किम	7171	3692	7033	7781	121
तमिलनाडु	30488	20485	36741	53010	57950
तेलंगाना	10943	9539	16241	23444	21010
त्रिपुरा	472	349	573	777	1248
उत्तर प्रदेश	16602	15074	20794	26744	30712
उत्तराखंड	3370	2935	3958	5400	5343
पश्चिम बंगाल	11857	10181	27852	33882	28543
कुल	**287309**	**226690**	**363505**	**487445**	**465965**

स्रोत: भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

निजी बैंकों द्वारा प्राप्त शैक्षणिक ऋण आवेदन					
राज्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	6	9	8	9
आंध्र प्रदेश	1720	1979	3000	3322	2691
अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	7	8
असम	83	115	169	236	298
बिहार	989	884	1214	1567	1829
चंडीगढ़	87	68	245	646	1972
छत्तीसगढ़	248	185	245	363	338
दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	7	4	25	21	22
दिल्ली	1536	1447	3014	6317	7380
गोवा	19	14	35	74	40
गुजरात	1741	1634	6496	14621	8169
हरियाणा	663	766	1222	1841	1363
हिमाचल प्रदेश	64	43	101	134	74
जम्मू और कश्मीर	1723	1278	1729	2170	2242
झारखंड	541	523	758	829	637
कर्नाटक	2469	2246	3535	6239	9506
केरल	4395	2077	3633	4783	3653
लद्दाख	6	3	7	8	1
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	1226	920	1548	2282	2703
महाराष्ट्र	4892	3787	7698	15481	15243
मणिपुर	25	8	14	41	25
मेघालय	3	5	6	8	16
मिजोरम	0	2	2	3	3
नगालैंड	3	3	6	9	15
ओडिशा	488	318	446	586	362
पंजाब	531	352	764	1617	1570
पुदुचेरी	56	43	64	96	38
राजस्थान	483	415	593	1030	1348
सिक्किम	1	1	2	7	11
तमिलनाडु	4949	4303	5601	8921	7556
तेलंगाना	1931	1797	3602	7304	8670
त्रिपुरा	11	16	22	76	14
उत्तर प्रदेश	2050	1392	2169	3706	2462
उत्तराखंड	221	136	290	356	311
पश्चिम बंगाल	1690	1166	2751	4775	4449
कुल	**34853**	**27937**	**51017**	**89484**	**85028**

स्रोत: भारतीय बैंक संघ (आईबीए)